FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर अलवर मुकाम अलवर

उनवान साहिरता बनाम सरकार जरिये S.H.O. नौगांवा

किस्म मुकदमा अपील नम्बर 15/26/2024 दर्ज दिनांकः— 26.02.2024

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.09.2025	आज पत्रावली पेश हुई प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील को प्रार्थना—पत्र सुपुर्दगी पर सुना गया। मिन प्रार्थिनी ने प्रार्थना—पत्र सुपुर्दनामा वाहन पिकअप बोलेरो रजिस्ट्रेशन सं. RJ-32 GD 2819 के पुलिस थाना नौगॉवा जिला अलवर द्वारा जब्त किया हुआ है। जिस वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करना चाहती है। उक्त जब्त शुदा वाहन अरमान पुत्र अजगर निवासी तामई तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली—बहरोड (राज०) हाल मदरसा कॉलोनी बीवां तहसील व थाना फिरोजपुर झिरका जिला नूह मेवात हरियाणा के नाम पंजीकृत है जो मिन प्रार्थिनी का पति है जिनका स्वर्गवास दिनांक 26.11.2023 को हो गया था। मृतक अरमान के विधिक वारिस के रूप में प्रार्थिनी पत्नि है। इसलिए उक्त वाहन सुपुर्दनामा पर प्राप्त करने हेतु प्रार्थना—पत्र पेश किया गया है। जब्त शुदा वाहन की रिपोर्ट थानाधिकारी नौगॉवा से रिपोर्ट ली गई। थानाधिकारी नौगॉवा के पत्रांक 784—85 दिनांक 23.04.2024 के द्वारा उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने कि अभिशंषा नही की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रार्थी वकील की बहस पर मनन एवं SHO रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। प्रार्थिनी ने जब्त शुदा वाहन पिकअप बोलेरो रजि० सं. RJ-32 GD 2819 को सुपुर्दनामा पर देने हेतु निवेदन किया गया है परन्तु जब्त शुदा वाहन पति अरमान के नाम पंजीकृत है। प्रार्थिनी द्वारा उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन स्वयं के नाम ट्रांन्सफर नही कराया गया है। RB Act के तहत वाहन स्वामी को ही वाहन सुपुर्दगी पर दिये जाने के नियम है। अतः प्रार्थिनी के नाम वाहन पंजीकृत नही होने	(राज०)

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

पर सुपुर्दनामा पर नही दिया जा सकता है। अतः प्रार्थिनी का प्रार्थना–पत्र सुपुर्दनामा सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तार है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)